न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़
(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉ आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या –27 / 2020
GCMS No. – 2020 / 00059

श्रीमति गीता बाई पुत्री भागीरथ तेली निवासी निम्बाहेडा हा०मु० केली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० ।

/ / बनाम / / ......वादिया

1. किशनलाल पिता भागीरथ तेली निवासी बस स्टेण्ड, भागीरथ गेस्ट हाउस के पास, निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा राज०।
2 मनोहरलाल पिता भागीरथ तेली निवासी बस स्टेण्ड के पास, निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा राज०।
3 सन्दीप नाबालिग सरपरस्ती माता रामप्यारी बाई पत्नि राधेश्याम तेली निवासी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
4. विजय नाबालिग सरपरस्ती माता रामप्यारी बाई पत्नि राधेश्याम तेली निवासी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० ।
5. कमलेश नाबालिग सरपरस्ती माता रामप्यारी बाई पत्नि राधेश्याम तेली निवासी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० ।
6 श्रीमति रामप्यारी बाई बेवा राधेश्याम तेली निवासी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० ।
7. दिलीप नाबालिग सरपरस्ती माता संध्या बेवा पारस तेली निवासी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० ।
8. रवि नाबालिग सरपरस्ती माता संध्या बेवा पारस तेली निवासी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० ।
9 श्रीमति संध्या बेवा पारस तेली आयु 43 साल निवासी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
10. श्रीमति कैलाशी बाई पुत्री हीरालाल तेली निवासी रानीखेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०।
11. मुन्नी बाई पुत्री हीरालाल तेली निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
12 श्रीमति कमला बाई बेवा हीरालाल तेली निवासी बस स्टेण्ड, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा राज०।

......प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

गीता बनाम किशनलाल
27 / 2020
निर्णय दिनांक : 2020 / 00059

आवेदन पत्र तहत धारा 9 नियम 4 जा0दी0 सपठित धारा 151 जा0दी0

:: निर्णय ::

दिनांक :— 27.12.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि वादिया ने अंतर्गत धारा 53,88,188 का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि यह कि उपरोक्त उनवान के प्रकरण दिनांक 27.09.2016 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। जबकि उक्त दिनांक को वादीया स्वंय गम्भीर रूप से बीमार हो गई थी इस कारण माननीय न्यायालय में उपस्थित नही हो पाई। तथा वादीया के अधिवक्ता श्री बंसतीलाल जी जैन एंव घनश्याम जी पाटीदार का देहान्त भी हो गया था और माननीय न्यायालय द्वारा वादीया के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश प्रदान किया गया है। यह प्रकरण स्थावर सम्पति का है जिसमें वादीया का हित निहित है। तारीख पेशी पर उपस्थित नही होने के कारण सदभाविक है, जो क्षम्य किये जाने योग्य है। जिसमें पक्षकार का वाद पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रकरण के पुनः सुनवाई की जाना आवश्यक है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगणो को जरिए सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 4,10,11 बावजुद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गये। विपक्षी संख्या 1,2,5,6,7,8,9,12,13 ने प्रकरण में अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अतः विपक्षी संख्या 1,2,5,6,7,8,9,12,13 का जवाब बन्द किया गया।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता एक पक्षीय सुनी गई।मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा उनवान 166 / 2011 के निर्णय दिनांक 27.09.2016 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। वादीया के अधिवक्ता श्री बंसतीलाल जी जैन एंव घनश्याम जी पाटीदार का देहान्त हो गया था और माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा वकील वादीया तारिख पेशी दिनांक 27.09.2016 अनपुरिथत होने से पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज कि गई। यह प्रकरण स्थावर सम्पति का है जिसमें वादीया का हित निहित है। तारीख पेशी पर उपस्थित नही होने के कारण सदभाविक है, जो क्षम्य किये जाने योग्य है। जिसमें पक्षकार का वाद पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रकरण के पुनः सुनवाई की जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जा0दी0 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 166 / 2011 निर्णय दिनांक 27.09.2016 को पुनः नम्बर पर लिए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त वाद को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल पत्रावली संख्या 166 / 2011 के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/12/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा